IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700 Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0– 1997 /वा0नि0–5 / नि0वा0-2014/67 दिनांक– 12/9/14.

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

मैसर्स शिवांस इन्फास्ट्रक्चर्स डेवलपमेन्ट प्रा0लि0
द्वारा एस0आर0के0 रेड्डी
5/3 विशाल खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः– ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/**GH-01** वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आप द्वारा अपने उक्त ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 11/GH-01 वृन्दावन योजना लखनऊ का मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत किया गया था, जिसे तकनीकी परीक्षणोपरान्त दिनॉक 4–7–2014 को आवास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था जिसे समिति द्वारा कतिपय शर्तो सहित अनुमोदित किया गया है:–

1. स्वीकृत निर्माण स्थल पर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–11/GH-01 वृन्दावन योजना लखनऊ की कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पॉच वर्ष की होगी। दिनांक 12/9/14 से 11/9/19 तक।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्ध समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावृद्धि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 16009.28 वर्गमी0(डवल बेसमेंन्ट+भूतल+11) तलों में से 5727.44वर्ग मी0 (बेसमेंन्ट+भूतल) तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 3740.00 वर्ग0मी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंन्ट के फ्लोर में पार्किग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नही किया गया है। अतः पार्किग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेंन्ट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
6. बेसमेंन्ट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पष्चात) शेष निर्माण 10281.84 वर्गमी0 की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलंग्न हैं।)
7. भविष्य में प्रस्तावित से भिन्न उपयोग किये जाने की दषा में परिवर्तन के सापेक्ष पूर्व अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। इस प्रकार के परिवर्तन पर उपविधि के अनुसार अनुमन्य पार्किग का प्राविधान सुनिश्चित किये जाने की दषा में ही स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।
8. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई–3 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई–3 व सहायक आवास आयुक्त, वृन्दावन योजना द्वारा स्थल पर निर्माण इसी दशा में अनुमन्य किया जायेगा जबकि सम्बंधित द्वारा प्रश्नगत भूमि हेतु परिषद को देय समस्त भुगतान का निर्धारित समयानुसार अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
9. मुख्य शमन अधिकारी, उ0 प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक संख्या–1955/एफ0एस0–14 दिनांक 4–3–2014 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है एवं भवन के निर्माण के पष्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय मुख्य शमन अधिकारी, उ0 प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ, से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
10. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
11. आवंटी द्वारा सलंग्न प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंग्न करना होगा। समयावधि तत्पष्चात निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
12. मैसर्स शिवांस इन्फास्ट्रक्चर्स डेवलपमेन्ट प्रा0लि0, द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अम्बार करने की दशा में वह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
13. भूकम्परोधी शासनादेश सं0 570–9–आ–12001(भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3–2–2001 एवं सं0 3751/9–आ–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20–7–2001 के अन्तर्गत शर्ते, सेट के मानचित्र सं04/12 के पृष्ट भागों पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण करना होगा।

क्रमशः/ 2–

14. आवंटी द्वारा प्रदूषण विभाग एवं भारतीय विमानन पत्तनम् का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नही किया गया है, जिसके संबंध में आवंटी को निर्देषित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत किया जाता है कि निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्यालय को उक्त प्रमाण पत्रों को प्राप्त कार्यालय को छः माह की भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
15. कम से कम 200 वर्गमी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
16. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
17. परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई–3 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
18. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिषिष्ट–6 प्रपत्र–ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।
19. आवंटी द्वारा भारतीय विमानन पत्तनम विभाग (एअरपोर्ट अथारिटी आफ इण्डिया) द्वारा निर्माण कार्य 15.0 मी0 ऊँचाई तक अथवा छः माह के भीतर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित किया जाना होगा।
20. समय–समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।
21. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।

<u>सलंग्नकःउपरोक्तानुसार।</u>

1. आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का एक सेट (14 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (14 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट ।
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप –ब ।

(संजीव कश्यप)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

प्र0 सं0:– /उक्त / दिनांकः

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1. जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता–वृन्दावन वृत्त, उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. परियोजना प्रबन्धक,निर्माण इकाई–3 उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र–ब की एक प्रति सलंग्न है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है, अतः यह सुनिश्चित् कर लें कि आवंटी अपने ही भूखण्ड में निर्माण शर्त सं0–15 के अनुपालन की दशा में प्रारम्भ करेगा तथा शपथ पत्र के अनुसार भवन सामग्री एवं मलवा भूखण्ड पर ही संग्रह करेगा।
4. सहायक आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध लखनऊ को शर्त सं0–04 के संदर्भ में ।
5. मुख्य शमन अधिकारी उ0 प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ को प्रपत्र –च सहित ।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी